उनकी सेवाओं का नियमितीकरण। स्वीकृत रूप से यह पद लंबे समय से अस्तित्व में है। यह योजना वर्ष 1979 में ही प्रख्यापित की गई थी। याचिकाकर्ता वर्ष 1992 से इस पद पर हैं। इस पद की अभी भी आवश्यकता है। इस स्थिति में, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उसके द्वारा धारित पद पर नियमितीकरण के मामले पर तीन महीने के भीतर विचार किया जाएगा। उत्तरदाताओं को उचित वेतनमान तय करना होगा और उसे उस वेतनमान में रखना होगा।परिलब्धि प्रति माह Rs.5500 से कम नहीं होगी जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

(12) प्रत्यर्थी-भारत संघ के वकील श्री वी. के. शर्मा बताते हैं कि पदों को एक योजना के तहत स्वीकृत किया गया है।इसलिए नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।हालाँकि, पूछे जाने पर, वकील ने स्वीकार किया है कि सामुदायिक पॉलिटेक्निक की संख्या शुरू में 35 तय की गई थी।अब यह बढ़कर लगभग 400 हो गया है।यह केवल सामुदायिक पॉलिटेक्निक और पदों को संभालने के लिए कर्मियों की निरंतर आवश्यकता को साबित करता है।इस स्थिति में, यह उचित है कि प्रतिवादीगण एक नियमित संवर्ग बनाए और उन्हें नियमित सेवा में रखे।

(13) रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।याचिकाकर्ता अपनी लागतों का भी हकदार होगा जिसका आकलन रु 10, 000 है।

आर.एन.आर

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और न्यायमूर्ति एन. के. सूद के समक्ष

मेसर्स हिंदूस्तान ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य -प्रतिवादीगण

सी.डब्ल्यू.पी. 1999 का क्रमांक 10443

2 फरवरी, 2001

भूमि ☒ धिग्रहण ☒ धिनियम, 1894- धारा 4 *और 6-भारत का संविधान,* 1950- ☒ नुच्छेद *226-एक औद्योगिक क्षेत्र के* विकास *के उद्देश्य* से *याचिकाकर्ता की भूमि का ☒ धिग्रहण करने की मांग-हरियाणा राज्य में शहरी संपदाओं के प्रभारी मंत्री के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप-औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव जहां औद्योगिक कॉलोनी मौजूद है-सरकार,* उस *क्षेत्र में साइट स्थानांतरित करना जहां मंत्री की भूमि स्थित* है-सरकार *में ☒ धिसूचना के प्रकाशन के बाद याचिकाकर्ता को सुनवाई। राजपत्र-कानून के प्रावधानों का* गैर-☒ नुपालन- रिट की ☒ नुमति, *विवादित ☒ धिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया, जबकि ☒ धिग्रहण को जनहित में* नहीं *माना गया।*

निर्णय दिया कि मूल योजना के ☒ नुसार रोहतक शहर में सेक्टर 20 के साथ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाना था। यहां तक कि औद्योगिक कॉलोनी और महाप्रबंधक, उद्योग विभाग का कार्यालय भी उस स्थान पर स्थापित किया गया था। फिर भी, ☒ चानक सेक्टर 37 के पास लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने का निर्णय लिया गया। पूछे जाने के बावजूद कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है जो इस बात का संकेत दे सकता है कि सरकार ने औद्योगिक संपदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय क्यों लिया था। शहरी संपदा मंत्री की ☒ ध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस स्थिति में ☒ परिहार्य निष्कर्ष यह है कि शहरी संपदा मंत्री के कहने पर सेक्टर 37 में औद्योगिक संपदा के विकास के लिए स्थान तय किया गया था। यह दिखाने के लिए कि ऐसा करना जनहित में था, रिकॉर्ड पर कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, हम इस निष्कर्ष से बच नहीं सकते कि शक्ति का प्रयोग एक तिर्यक उद्देश्यके लिए किया गया था।

(पैरा 14 और 16)

इसके ☒ लावा यह ☒ भिनिर्धारित किया गया कि 1894 ☒ धिनियम की धारा 4 के तहत ☒ धिसूचना 9 जुलाई, 1998 को जारी की गई थी। 1894 ☒ धिनियम की धारा 6 के तहत ☒ धिसूचना 28 ☒ क्टूबर, 1998 की है। प्रतिवादीगण के ☒ नुसार याचिकाकर्ताओं को उनके वकील के माध्यम से 29 दिसंबर, 1998 को सुना गया था। जाहिर है, सुनवाई सरकारी राजपत्र में ☒ धिसूचना प्रकाशित होने के बाद हुई थी। यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार 9 जुलाई, 1998 और 28 ☒ क्टूबर, 1998 के बीच सब कुछ पूरा करने का दावा करती है। इस प्रकार, आपत्तियों पर कानून के प्रावधानों के ☒ नुसार विचार नहीं किया गया और यह कि ☒ धिग्रहण किसी भी सार्वजनिक हित

को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया गया था।

(पैरा 17 और 18)

एम. एस. सेठी, वरिष्ठ ☒ धिवक्ता ☒ मित सिंह सेठी, जी. एम. उमैर और कुलबीर सिंह नरवाल, ☒ धिवक्ता।

याचिकाकर्ता *के लिए*

सूर्यकांत, महाधिवक्ता हरियाणा सुश्री पालिका मोंगा, ☒ तिरिक्त महाधिवक्ता., *हरियाणा के साथ*

प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 के लिए।

रविंदर चोपड़ा, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए ☒ धिवक्ता

निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता (मौखिक)

(1) ये ग्यारह याचिकाएँ भूमि ☒ धिग्रहण ☒ धिनियम, 1894 की धारा 4 और 6 के तहत जारी 9 जुलाई, 1998 और 28 ☒ क्टूबर, 1998 की ☒ धिसूचना के खिलाफ थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भूमि का ☒ धिग्रहण रोहतक में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के दिखावटी उद्देश्य के लिए किया गया था, लेकिन वास्तविक उद्देश्य तत्कालीन शहरी संपदा मंत्री सेठ श्रीकृष्ण एल) के व्यक्तिगत हित को बढ़ावा देना था। उनकी प्रार्थना है कि इन नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाए

(2) पक्षों के वकील ने 1999 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10443 की रिपोर्ट में तथ्यों का उल्लेख किया है।इन पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(3) 9 जुलाई, 1998 को हरियाणा सरकार ने ☒ धिनियम की धारा 4 के तहत एक ☒ धिसूचना जारी की, जिसमें "हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ☒ धिनियम,

1977 के तहत विकास योजना में दिखाए गए रोहतक में औद्योगिक क्षेत्र" के विकास के उद्देश्य से भूमि ☒ धिग्रहण करने का ☒ पना इरादा व्यक्त किया गया। यह क्षेत्र 138.25 एकड़ मापा गया। याचिकाकर्ता ने ☒ धिनियम की धारा 5-ए के तहत *आपत्तियां* दायर कीं और आरोप लगाया कि भूमि का ☒ धिग्रहण किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति के स्वहित की पूर्ति के लिए किया जा रहा था, न कि किसी सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के लिए। यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि प्रस्तावित ☒ धिग्रहण "याचिकाकर्ता को नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से उक्त इलाके में भूमि रखने वाले कुछ उच्च *पदस्थ राजनेताओं* के स्वार्थी लाभ के लिए मनमौजी तरीके से किया जा रहा है।"28 ☒ क्टूबर, 1998 को ☒ धिनियम की धारा 6 के तहत ☒ धिसूचना जारी की गई थी। भूमि के एक छोटे से हिस्से (8 एकड़ से कम) को ☒ धिग्रहण से बाहर रखा गया था। ☒ धिनियम की धारा 6 के तहत ☒ धिसूचना 129.73 एकड़ भूमि से संबंधित थी।

(4) याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सेठ श्री कृष्ण दास, जो प्रतिवादी हैं, वर्ष 1998 में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। वे शहरी संपदा विभाग के प्रभारी मंत्री थे। विवादग्रस्त क्षेत्र के पास उनके और उनके परिवार के सदस्यों के पास लगभग 80 एकड़ जमीन थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र को सेक्टर 20 में विकसित किया जा रहा था, जहां औद्योगिक कॉलोनी भी मौजूद थी। हालांकि, सेक्टर 20 में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था और साइट को सेक्टर 37 के पास के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था जहां मंत्री की जमीन स्थित है। यह इस तथ्य के बावजूद किया गया कि प्रस्तावित स्थल मौजूदा औद्योगिक कॉलोनी और सेक्टर 20 में प्रबंधक, उद्योग विभाग के कार्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी भूमि का ☒ धिग्रहण राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण किया जा रहा था। तीसरा प्रतिवादी, हरियाणा विकास पार्टी का मंत्री होने के नाते, ☒ पने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को नुकसान पहुंचाने और ☒ पने व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देने के लिए ☒ पनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। याचिकाकर्ता का कहना है *कि विवादित* ☒ धिग्रहण पूरी तरह से मनमाना और दुर्भावनापूर्ण है। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि ☒ धिनियम की धारा 5-ए के तहत दायर की गई आपत्तियों पर उचित प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया, लेकिन "बिना किसी सोच-विचार के यांत्रिक तरीके से" उनका निपटारा कर दिया गया। इन आधारों पर, यह कहा गया है कि विवादित ☒ धिसूचनाएँ रद्द किए जाने योग्य हैं।

(5) हालांकि मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे, राज्य सरकार के किसी ☒ धिकारी, जैसे की सचिव या संयुक्त सचिव, ने कोई उत्तर नहीं दिया है। वास्तव में, राज्य सरकार और ☒ न्य आधिकारिक प्रतिवादी की ओर से लिखित बयान श्री मंजीत मान, भूमि ☒ धिग्रहण कलेक्टर, शहरी संपदा, हरियाणा, फरीदाबाद द्वारा दायर किया गया है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता *के* पास ☒ धिग्रहण को चुनौती देने का कोई ☒ धिकार नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्तियों पर विचार किया गया। सुनवाई का ☒ वसर दिया गया। वकील श्री बी.एस. कटरा पर 29 दिसंबर, 1998 को सुना गया। इसके बाद, भूमि ☒ धिग्रहण कलेक्टर द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को "☒ धिनियम की धारा 6 के तहत ☒ धिसूचना के प्रकाशन से पहले ध्यान में रखा गया था" यह आगे कहा गया है कि पुरस्कार की घोषणा 12 फरवरी, 1999 को की गई थी। गुण-दोष के आधार पर यह दलील दी गई है कि सार्वजनिक प्राधिकरण के दुरुपयोग के आरोप झूठे हैं। याचिकाकर्ता केवल भूमि ☒ धिग्रहण के कारण मुआवजे का हकदार है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का "वर्तमान ☒ धिग्रहण कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है"। पैरा 8 (iii) के जवाब में कहा गया है कि ☒ धिनियम की धारा 4 के तहत ☒ धिसूचना के समय औद्योगिक कॉलोनी से सटे सेक्टर 20 में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि ☒ धिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं था। वास्तव में यह केवल सरकार को ही तय करना है कि कौन सी भूमि विशेष सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयुक्त और व्यवहार्य है। वर्तमान मामले में भी, मौजूदा परिस्थितियों के सभी पक्ष और विपक्ष पर विचार करने के बाद विचाराधीन भूमि ☒ धिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था। इन परिसरों में यह प्रार्थना *की गई है* कि रिट याचिका खारिज की जानी चाहिए।

(6) तत्कालीन शहरी विकास मंत्री सेठ श्री कृष्ण दास द्वारा भी एक ☒ लग जवाब दाखिल किया गया है। यह कहा गया है कि ☒ धिग्रहण "जनहित के उद्देश्य से किया गया था ताकि लोगों को इसे औद्योगिक क्षेत्र बनाकर ☒ पना व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि मिल सके। ☒ धिग्रहित भूमि केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए थी और इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई हित नहीं था।" उन्होंने आगे कहा है कि "उत्तरदाता को किसी भी तरह से लाभ नहीं हुआ है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब भी सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि ☒ धिग्रहण करने का निर्णय लेती है, तो एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है और रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ☒ धिग्रहण के लिए आगे की कार्यवाही की जाती है। याचिकाकर्ताओं के इस आरोप का खंडन किया

गया है कि तीसरे प्रतिवादी और उनके परिवार के सदस्यों के पास लगभग 80 एकड़ भूमि है।यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थी को जवाब देने के लिए ☒धिग्रहित भूमि का केवल बहुत कम हिस्सा था। ऐसे कई भूमि मालिक हैं जिनकी भूमि ☒धिग्रहीत भूमि के निकट आती है। प्रतिवादी का कहना है कि भूमि का ☒धिग्रहण सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, न कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण।

(7) याचिकाकर्ता ने प्रतिवादीगण की ओर से दायर लिखित बयानों के लिए ☒लग-☒लग प्रत्युत्तर दायर किए हैं। प्रारंभिक आपत्तियों का जवाब देने के साथ-साथ ☒धिकारियों की ओर से ईमानदारी की कमी दिखाने के लिए विस्तृत जवाब *दाखिल किया* गया है।यह विशेष रूप से बताया गया है कि राज्य सरकार ने स्वयं तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए एक प्रतिवेदन दायर किया था कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 420/406/409 467/468/471 122 और धारा 13 (1) भ्रष्टाचार निवारण ☒धिनियम, 1980 के तहत ☒पराधों का दोषी था।यहां तक कि तीसरे प्रतिवादी और उसके भाइयों के स्वामित्व वाली भूमि का विवरण राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ दिया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि उनके पास विवादित क्षेत्र से सटे 73.8 एकड़ जमीन है।यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए और राज्य सरकार की ओर से ☒स्वीकार किए गए आरोप वास्तव में राज्य द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट द्वारा समर्थित हैं।

(8) ये मोटे तौर पर पक्षों की दलीलें हैं।

(9) पक्षों के वकीलों को सुना गया है।

(10) इन मामलों में याचिकाकर्ताओं के वकील श्री मोहिंदर जीत सिंह सेठी ने तर्क दिया है कि यह कार्रवाई सत्ता के साथ धोखाधड़ी है। यह शक्ति का दुरुपयोग था। इस शक्ति का उपयोग एक परोक्ष उद्देश्य के लिए किया गया था न कि जनहित को बढ़ावा देने के लिए।☒धिनियम की धारा 5-ए के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया।☒धिनियम की धारा 6 के तहत ☒धिसूचना यांत्रिक रूप से जारी की गई थी।इसके ☒लावा, यह भी बताया गया है कि सेक्टर 37 के पास औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, जो मुख्य रूप से एक आवासीय कॉलोनी थी, जनहित को बढ़ावा नहीं देगी।

(11) याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए दावे का विरोध हरियाणा के

महाधिवक्ता श्री सूर्यकांत ने किया है।

(12) यह स्वीकृत स्थिति है कि राज्य सरकार ने तीसरे प्रतिवादी और कुछ ☒न्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।विद्वान महाधिवक्ता द्वारा हमें सूचित किया जाता है कि जाँच लगभग पूरी हो चुकी है और आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद कागजात सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले हैं।चूँकि मामले की जाँच न्यायालय द्वारा की जानी है, हम आपराधिक मामले के विवरण पर ध्यान नहीं देंगे।हालाँकि, यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों में से एक यह है कि तीसरे प्रतिवादी ने हुडा की एजेंसी के माध्यम से गोहाना-रोहतक रोड पर औद्योगिक एस्टेट के लिए भूमि का ☒धिग्रहण किया था।। इस क्षेत्र के पास सेठ श्री कृष्ण दास की पर्याप्त भूमि है और एक कारखाना भी है।हुडा ने सेठ श्री कृष्ण दास की भूमि के आसपास सीवरेज, सड़कें, रोशनी और ऐसी ☒न्य सुविधाएं प्रदान कीं।सेठ श्री कृष्ण दास की कोठी के उद्घाटन के लिए विशेष व्यवस्था की गई।हुडा ने उक्त कोठी के निर्माण में काफी योगदान दिया क्योंकि सेठ श्री कृष्ण दास हुडा के प्रभारी मंत्री थे।

(13) आरोप स्वतः स्पष्ट हैं ।इसके ☒लावा, प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई शिकायत से संकेत मिलता है कि एक स्पष्ट आरोप लगाया गया था कि उसने ☒पनी भूमि का मूल्य बढ़ाने के उद्देश्य से एक औद्योगिक संपत्ति स्थापित करने के लिए भूमि का ☒धिग्रहण किया था।इस स्तर पर, हम इस मामले के विवरण में जाना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि यह विशेष रूप से मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय के कार्यक्षेत्र के भीतर होगा।फिर भी, आरोप प्रत्यर्थी-राज्य और भूमि ☒धिग्रहण कलेक्टर की ओर से दायर लिखित बयान को स्पष्ट रूप से झूठ बताते हैं क्योंकि ये बताते हैं कि भूमि का ☒धिग्रहण जनहित को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि एक निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा था।इस स्तर पर हम कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं समझते हैं।

(14) एक और बात जो हमें परेशान करती है वह यह है कि मूल योजना के ☒नुसार औद्योगिक क्षेत्र को सेक्टर 20 के साथ-साथ रोहतक शहर में विकसित किया जाना था।यहां तक कि औद्योगिक कॉलोनी और महाप्रबंधक, उद्योग विभाग का कार्यालय भी उस स्थान पर स्थापित किया गया था।फिर भी, ☒चानक सेक्टर 37 के पास लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने का निर्णय लिया गया ।क्यों?इसका कोई जवाब नहीं है।पूछे जाने के बावजूद कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत

नहीं किया गया है जो इस बात का संकेत दे सकता है कि सरकार ने औद्योगिक संपदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय क्यों लिया था।श्री सूर्यकांत प्रस्तुत करते हैं कि लिखित कथन के पैरा 8 (iii) में आरोप का खंडन किया गया है।यह कहा गया है कि "सेक्टर 20 में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं था" इस कथन को तत्कालीन डिप्टी कमिशनर, रोहतक, द्वारा हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के प्रबंध निदेशक श्री वाई. एस. मलिक को 21 मई, 1997 को लिखे गए पत्र से स्पष्ट रूप से झुठलाया गया है।इस पत्र की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-5 के रूप में रिकॉर्ड में रखी गई है।

(15) इस पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि 29 अप्रैल, 1997 को आयोजित बैठक में माननीय नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में एक संशोधित मसौदा विकास योजना को मंजूरी दी गई थीदी गई।संशोधित योजना के अनुसार यह स्थल सेक्टर 37 में आता है।क्या संशोधित किया गया था?मूल योजना क्या थी?प्रतिवादीगण कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं।जाहिरा तौर पर, मूल योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र को एक अलग क्षेत्र में होना था।29 अप्रैल, 1997 के निर्णय से साइट को सेक्टर 37 में स्थानांतरित कर दिया गया था।यह वह स्थान है जहाँ विवादित अधिसूचनाओं के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

(16) यह एकल तथ्य स्पष्ट रूप से साइट को सेक्टर 37 में स्थानांतरित करने को स्थापित करता है।यह निर्णय उस बैठक में लिया गया जो प्रत्यर्थी संख्या 3 की अध्यक्षता में हुई थी।इससे जनहित को बढ़ावा मिलने की संभावना कैसे थी?दलीलों में कोई संकेत नहीं है।सुनवाई में कोई जानकारी नहीं दी गई है।पूछने के बावजूद कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है।इस स्थिति में, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि औद्योगिक संपदा के विकास के लिए स्थान सेक्टर 37 में प्रतिवादी संख्या 3 के कहने पर तय किया गया था।यह दिखाने के लिए कि ऐसा करना जनहित में था, अभिलेख पर कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।परिणामस्वरूप, हम इस निष्कर्ष से बच नहीं सकते कि शक्ति का प्रयोग एक परोक्ष उद्देश्य के लिए किया गया था।

(17) श्री सेठी ने यह भी तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार नहीं किया गया था।याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए दावे का प्रतिवादीगण द्वारा विरोध किया गया

है।लिखित बयान में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को 29 दिसंबर, 1998 को वकील के माध्यम से विधिवत सुना गया था।क्या ऐसा हो सकता है?यह स्वीकृत स्थिति है कि ⊠धिनियम की धारा 4 के तहत ⊠धिसूचना 9 जुलाई, 1998 को जारी की गई थी।⊠धिनियम की धारा 6 के तहत ⊠धिसूचना 28 ⊠क्टूबर, 1998 की है।प्रतिवादीगण के ⊠नुसार याचिकाकर्ताओं को उनके वकील के माध्यम से 29 दिसंबर, 1998 को सुना गया था।जाहिरा तौर पर, सुनवाई सरकारी राजपत्र में ⊠धिसूचना प्रकाशित होने के बाद हुई थी।श्री सूर्यकांत प्रस्तुत करते हैं कि संभवतः एक मुद्रण संबंधी त्रुटि है।फिर सही तारीख क्या है? विद्वान परामर्शदाता कुछ भी इंगित करने में सक्षम नहीं हुए हैं।किसी भी स्थिति में, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार 9 जुलाई, 1998 और 28 ⊠क्टूबर, 1998 के बीच सब कुछ पूरा करने का दावा करती है।लिखित कथन में कथन स्पष्ट और श्रेणीबद्ध होने से पता चलता है कि यह दावा कि याचिकाकर्ताओं को धारा 6 के तहत ⊠धिसूचना जारी होने से पहले सुना गया था, रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है।

(18) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि आपत्तियों पर कानून के प्रावधानों के ⊠नुसार विचार नहीं किया गया था और ⊠धिग्रहण किसी भी सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया गया था।फलस्वरूप , आक्षेपित ⊠धिसूचनाओं को बनाए नहीं रखा जा सकता है।नतीजतन, इन्हें रद्द कर दिया जाता है।

(19) रिट याचिकाओं को लागत के साथ ⊠नुमति दी जाती है।

आर.एन.आर

न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति निर्मल सिंह के समक्ष,

श्रीमती पुष्प *देवी* *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और ॅन्य प्रतिवादीगण

C.W.P. No. 6645 of 2000

25 मई, 2000

हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (सेवा की सुरक्षा) ॅधिनियम, 1971- हरियाणा सरकार द्वारा 23 जुलाई, 1957 को जारी हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय *(सेवा की सुरक्षा) नियम, परिपत्र-निजी सहायता प्राप्त विद्यालय में जे.* बी. *टी. शिक्षक के रूप में नियुक्ति-उच्च योग्यता के आधार पर उच्च वेतनमान देने का दावा-ॅस्वीकार- न तो 1971 ॅधिनियम और न ही 1974 के नियम निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों के शिक्षकों को उच्च योग्यता प्राप्त करने पर उच्च वेतनमान देने का प्रावधान करते हैं - एक ॅलग/उच्च पद के लिए निर्धारित जेबीटी शिक्षक को उच्च वेतनमान देने का कोई औचित्य या औचित्य नहीं है। — सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में परिपत्रों/निर्देशों पर भरोसा करने के बाद और भर्ती और वेतन नियमों की जांच किए बिना उच्च वेतनमान दे दिया है - इन निर्णयों को कानून का प्रस्ताव देने के रूप में नहीं माना जा सकता है - याचिकाकर्ता लाभ का हकदार नहीं है उच्च वेतनमान की - रिट खारिज।*

यह ॅभिनिर्धारित किया गया कि उच्चतर ग्रेड प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को ॅस्वीकार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक, हरियाणा द्वारा दिए गए कारणों को न तो मनमाना कहा जा सकता है और न ही बाहरी और न ही यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया गया। 23 जुलाई, 1957 का परिपत्र तब ॅस्तित्व में था जब हरियाणा विधानमंडल ने 1971 का ॅधिनियम लागू किया था और राज्य सरकार ने 1974 के नियम बनाए थे। यदि

विधानमंडल और उसके प्रतिनिधि निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों के उन शिक्षकों को उच्च वेतनमान/ग्रेड का लाभ प्रदान करना चाहते हैं जिनके पास भर्ती के समय पद के लिए निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता थी या जिन्होंने सेवा में शामिल होने के बाद ऐसी योग्यता प्राप्त की थी, तो उन्होंने 23 जुलाई, 1957 के परिपत्र को 1971 के अधिनियम या 1974 के नियमों में शामिल किया होगा।लेकिन तथ्य यह है कि

स्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा